दिनांक 15.09.2016 को सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण।

1) महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत जिलों में मजदूरी भुगतान से संबंधित सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतें L1 के स्तर पर ही निराकृत होना सुनिश्चित करें। जिन जिलों में समय पर उपस्थिति संबंधी प्रतिवेदन, मूल्यांकन, प्रथम तथा द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर निराकरण अभी भी लंबित है, वहां शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाए।

2) बाढ़ प्रभावित जिलों में धराशायी हुए मकानों के लिए, जिलों से प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रस्ताव भेजने के निर्देश थे। सभी 26 बाढ़ प्रभावित जिले, प्रस्ताव आगामी वी.सी. के पूर्व प्रेषित करें।

3) वनाधिकार अधिनियम के हितग्राहियों को नरेगासाफ्ट में अंकित करने की कार्यवाही में निम्न जिलों में अधिक संख्या में प्रकरण लंबित हैं। सभी जिले उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करें ताकि हितग्राहियों को मनरेगा अंतर्गत 50 अतिरिक्त दिवस प्राप्त हो सकें :

1) भोपाल	**2)बडवानी**	**3) धार**	**4) रायसेन**	**5) शाजापुर**
6) अनूनपुर	**7) सीधी**	**8) शिवपुरी**	**9) बुरहानपुर**	

4) महात्मा गांधी मनरेगा अन्तर्गत जाबकार्ड का सत्यापन की रिपोर्ट मनरेगा पोर्टल पर Focus Area Progress पर उपलब्ध है, नरेगासाफ्ट में तदानुसार प्रविष्टि करें। जिलों में अनुसूचित जनजाति परिवारों को मजदूरी उपलब्ध कराने की कार्यवाही/प्रगति संतोषजनक नहीं है। विशेषतः निम्न जिलों की प्रगति अत्यधिक कम है :

1. खंडवा	**2. मदसौर**	**3. मुरैना**	**4. होशंगाबाद**	**5.देवास**
6. भिण्ड	**7. नीमच**	**8. राजगढ़**	**9.आगर–मालवा**	**10.रीवा**

5) महात्मा गांधी मनरेगा अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई जिसमें एक ग्राम पंचायत में अधिक संख्या में सामुदायिक तथा हितग्राहीमूलक कार्य लंबित हैं, उनकी कार्यवार समीक्षा के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये हैं।

6) इंदिरा आवास योजना, राज्य स्तरीय आवासीय योजना एवं मनरेगा अन्तर्गत 90 मानव दिवस प्रदाय करने की प्रगति निम्न जिले में कम पाई गई। सभी जिले प्रावधान अनुसार हितग्राहियों को लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करें। (R6.22)

(नीलम शमी राव)
प्रमुख सचिव
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद